न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1229/2024

अनवान : –

1. पप्पू पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बलराज सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 20/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 154/110 की कुल 1.3155 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मे से प0न0 319/401(57) के किला न0 21/3 की 0.1775 हैक्ट, किला न0 22/1 की 0.2030 हैक्ट नहरी भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.07.2024 से खरीद शुदा खातेदार काश्तकार है तथा खरीद के समय से लेकर आज तक निरन्तर निर्वधन रूप से वादी के कब्ज काश्त में चली आ रही है। इसलिए वादी प0न0 319/401(57) के किला न0 21/3 की 0.1775 हैक्ट, किला न0 22/1 की 0.2030 हैक्ट भूमि में से पश्चिमी पासा की 0.0755 हैक्ट भूमि कुल 0.2530 हैक्ट भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बैयनामा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे मुताबिक बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल पत्रावल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:40:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमांबदी, चित्रप्रति रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.07.2024 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादी का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि मे से प0न0 319/401(57) के किला न0 21/3 की 0.1775 हैक्ट, किला न0 22/1 की 0.2030 हैक्ट नहरी भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.07.2024 से खरीद शुदा खातेदार काश्तकार है तथा खरीद के समय से लेकर आज तक निरन्तर निर्वधन रूप से वादी के कब्ज काश्त में चली आ रही है। इसलिए वादी प0न0 319/401(57) के किला न0 21/3 की 0.1775 हैक्ट, किला न0 22/1 की 0.2030 हैक्ट भूमि में से पश्चिमी पासा की 0.0755 हैक्ट भूमि कुल 0.2530 हैक्ट भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 154/110 की कुल 1.3155 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक बैयनामा एवं वादी के कथनानुसार उक्त वाद भूमि मे से प0न0 319/401(57) के किला न0 21/3 की 0.1775 हैक्ट, किला न0 22/1 की 0.2030 हैक्ट नहरी भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.07.2024 से खरीद शुदा खातेदार काश्तकार है तथा खरीद के समय से लेकर आज तक निरन्तर निर्वधन रूप से वादी के कब्ज काश्त में चली आ रही है। इसलिए वादी प0न0 319/401(57) के किला न0 21/3 की 0.1775 हैक्ट, किला न0 22/1 की 0.2030 हैक्ट भूमि में से पश्चिमी पासा की 0.0755 हैक्ट भूमि कुल 0.2530 हैक्ट भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:40:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 151/110 के प0न0 319/401 (57) के किला न0 21/3 की 0.1775 हैक्ट भूमि व किला न0 22/1 की 0.2030 हैक्ट भूमि मे से पश्चिमी पासा की 0.0755 हैक्ट भूमि कुल 0.2530 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:40:48 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1229 / 2024

अनवान : –

1. पप्पू पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बलराज सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1229 सन 2024 निर्णय दिनांक – 20/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 151 / 110 के प0न0 319 / 401 (57) के किला न0 21 / 3 की 0.1775 हैक्ट भूमि व किला न0 22 / 1 की 0.2030 हैक्ट भूमि मे से पश्चिमी पासा की 0.0755 हैक्ट भूमि कुल 0.2530 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:40:48 IST
Reason: SelfAttested